

सीसीआरटी मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 10 से 19 दिसम्बर, 2024
तक "विद्यालयी शिक्षा में हस्तकला कौशल का समावेश"
विषय पर कार्यशाला पहले आओ पहले पाओ के आधार
पर प्रतिनियुक्त अंतिम/पुष्टिकृत शिक्षको की सूची

क्रं सं	शिक्षक का नाम	राज्य	दिनांक
1.	चारु शर्मा	हरियाणा	22 अक्टूबर 2024
2.	अनूप सिंह	हरियाणा	22 अक्टूबर 2024
3.	रीना	हरियाणा	22 अक्टूबर 2024
4.	प्रवेश कुमार	हरियाणा	22 अक्टूबर 2024
5.	डॉ. सोनिका	हरियाणा	22 अक्टूबर 2024
6.	संदीप कुमार	हरियाणा	22 अक्टूबर 2024
7.	अनिल कुमार	हरियाणा	22 अक्टूबर 2024
8.	नीति श्रीवास्तव	छत्तीसगढ़	11 नवंबर 2024
9.	दीप्ति शुक्ला	छत्तीसगढ़	11 नवंबर 2024
10.	सूरज कांति गुप्ता	छत्तीसगढ़	11 नवंबर 2024
11.	रामजतन यादव	छत्तीसगढ़	11 नवंबर 2024
12.	दीप्ति भावसार	छत्तीसगढ़	11 नवंबर 2024
13.	न्याम्खी सोसिया ममई	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
14.	राम कुमार	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
15.	सोनम तार्येग	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
16.	मक्केप तार्येग	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
17.	दान्या अन्ना	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
18.	फेचे वांगसु	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
19.	ठोकवांग खोचा	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
20.	ए के सिंह	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
21.	कन्या जिर्दो	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
22.	रिबोम गिबी	अरुणाचल प्रदेश	12 नवंबर 2024
23.	काछड़िया जतिन बाबूलाल	गुजरात	19 नवंबर 2024
24.	वला रणजीत भीमा भाई	गुजरात	19 नवंबर 2024
25.	देबद्रिता डे भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल	22 नवंबर 2024
26.	अशोक कुमार पांडा	पश्चिम बंगाल	22 नवंबर 2024
27.	संदीप कुमार सिंघा	पश्चिम बंगाल	22 नवंबर 2024
28.	सौमिता गुइन	पश्चिम बंगाल	22 नवंबर 2024
29.	संजीब डे	पश्चिम बंगाल	22 नवंबर 2024
30.	जय कुमार त्रिपाठी	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024
31.	प्रतिभा यादव	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024
32.	आरती ठाकुर	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024
33.	कैशरिन कुमार कर्मकार	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024
34.	पुष्पा चौधरी	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024
35.	प्रतिभा त्रिपाठी	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024

36.	मनीषा गिरी	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024
37.	कानन गुप्ता	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024
38.	प्रेम लाल धनखड़	छत्तीसगढ़	27 नवंबर 2024
39.	गजेंद्र सिंह	राजस्थान	27 नवंबर 2024

"विद्यालयी शिक्षा में हस्तकला कौशल का समावेश" पर कार्यशाला के लिए शिक्षकों को नियुक्त करते समय कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए:

- प्रतिनियुक्त शिक्षकों की आयु 52 वर्ष तक होनी चाहिए। (पंजीकरण के समय जन्म तिथि का प्रमाण देना आवश्यक है।)
- कार्यशाला सरकारी/सेवारत कर्मचारियों के लिए है। सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक कक्षा I से X और शिल्प, ड्राइंग, पेंटिंग, कला, SUPW/WE जैसे विषयों को पढ़ाते हैं..
- स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका और प्रधानाचार्य तथा योग/शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वालों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- जो शिक्षक आपके रिकॉर्ड के अनुसार सीसीआरटी द्वारा आयोजित "सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य/कार्य अनुभव" पर कार्यशाला में पहले ही भाग ले चुके हैं, उन्हें उसी कार्यशाला के लिए दोबारा प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- किसी भी संविदा या अस्थायी शिक्षक जैसे शिक्षा-कर्मि, शिक्षा-बंधु, शिक्षा-मित्र, शिक्षा मित्र, शिक्षक फैसिलिटेटर, संविदा शिक्षक आदि की प्रतिनियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।
- चूंकि संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ देश के सभी हिस्सों से भाग लेने वाले शिक्षकों के लाभ के लिए द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी प्रारूप में व्याख्यान देंगे। इसलिए, अंग्रेजी की समझ और कामकाजी ज्ञान आवश्यक है।
- चूंकि काम के घंटे लंबे होंगे और कार्यशाला शिविर के माहौल में आयोजित की जाएगी, इसलिए शिक्षकों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
- प्रतिनियुक्त शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में अपने साथ कोई एस्कॉर्ट/परिवार के सदस्य नहीं लाने के लिए कहा जा सकता है।
- कार्यशाला में एक समय में एक स्कूल से केवल एक शिक्षक को भागीदारी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- आपका प्रतिनियुक्ति आदेश अंतिम आदेश माना जाएगा और सीसीआरटी व्यक्तियों को कोई चयन पत्र जारी नहीं करेगा। हालांकि, प्रतिनियुक्त शिक्षकों के किसी भी प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर सीसीआरटी द्वारा दिया जाएगा।
- सीसीआरटी के साथ पत्राचार के लिए हमारा पत्र संदर्भ संख्या और तारीख अवश्य उद्धृत की जानी चाहिए।

कार्यशाला के पहले दिन पंजीकरण के लिए और कार्यशाला के अंतिम दिन टीए के भुगतान के लिए, प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कागज की अलग-अलग शीट पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना होगा:-

- (i) जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- (ii) स्कूल से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र
- (iii) मूल वेतन प्रमाणपत्र
- (iv) दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
- (v) रद्द चेक/पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी
- (vi) टिकट/टिकट संख्या (आगे की यात्रा की मूल प्रति और वापसी यात्रा की फोटोकॉपी)। यात्रा के लिए पात्र श्रेणी और सबसे छोटे मार्ग के आने-जाने के टिकट खरीदने चाहिए.

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यमुक्त प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक को दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और पंजीकृत नहीं किया जाएगा।